राजस्थान सरकार
आबकारी विभाग

वर्ष 2019–20 के आबकारी बंदोबस्त के संदर्भ में देशी मदिरा विक्रय के अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन के संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्ते

संशोधन पत्र

आवेदन के सन्दर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश के निम्नांकित बिन्दुओं में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

12(vii) भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर पर कम उठाव की स्थिति में कम उठाई गई मात्रा पर क्रमश : 30 रूपये एवं 20 रूपये प्रति बल्क लीटर की अतिरिक्त राशि के स्थान पर क्रमश : **राशि रू. 20/– एवं रू. 10/– प्रति बल्क लीटर** किया जाता है।

14.1 देशी मदिरा पर आबकारी शुल्क रू. 150/–प्रति एल.पी.एल. के स्थान पर रू. **160/– प्रति एल.पी.एल. किया जाता है।**

देशी मदिरा विक्रय के अनुज्ञापत्र के निम्नांकित शर्तो में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

2.7 भारत निर्मित विदेशी मदिरा की प्रथम दो स्लेब पर निर्धारित की गई भारत निर्मित विदेशी मदिरा की ड्यूटी का मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि के न्यूनतम 10 प्रतिशत तथा अधिकतम 20 प्रतिशत तक उठाव करने पर मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि का अधिकतम 5 प्रतिशत भराव इस स्लेब में निर्धारित ड्यूटी के पेटे दिये जाने के स्थान पर **प्रथम दो स्लेब की वास्तव में उठाई गई भारत निर्मित विदेशी मदिरा के आबकारी शुल्क के बराबर खुदरा अनुज्ञाधारी को भराव (समायोजन) दिया जाता है तथा यह उठाव मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि का न्यूनतम 5 प्रतिशत एवं अधिकतम 20 प्रतिशत तक हो सकेगा, जो कि पूर्व की तरह स्वैच्छिक होगा।**

6.9 अनुज्ञाधारी को वर्ष 2019–20 में भा.नि.वि. मदिरा के लिये वर्ष 2018–19 के त्रैमासिक उठाव की तुलना में वर्ष 2019–20 के उसी त्रैमास में न्यूनतम 10 प्रतिशत से कम वृद्धि देने तथा बीयर के लिये वर्ष 2018–19 के त्रैमासिक उठाव की तुलना में वर्ष 2019–20 के उसी त्रैमास में न्यूनतम 10 प्रतिशत से कम वृद्धि देने वाले भा.नि.वि. मदिरा/बीयर रिटेल ऑफ की दुकान, परिधीय क्षेत्र के कम्पोजिट दुकान एवं रिटेल ऑन के अनुज्ञाधारियों पर उनके द्वारा कम उठाई गई **भा.नि.वि. मदिरा की मात्रा पर रू. 20/–प्रति बल्क लीटर तथा कम उठाई गई बीयर की मात्रा पर रू. 10/–प्रति बल्क लीटर की दर से अतिरिक्त राशि वसूली योग्य होगी।** यह राशि अनुज्ञाधारी को प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति पर राजकोष में जमा करानी होगी।

राजस्थान सरकार
आबकारी विभाग

वर्ष 2019–2020 के आबकारी बंदोबस्त के संदर्भ में भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर की रिटेल आफ दुकानो के अनुज्ञापत्र आवेदन के संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्ते

संशोधन पत्र

आवेदन के सन्दर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश के निम्न बिन्दु में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

6.1.2 भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवं बीयर पर कम उठाव की स्थिति में कम उठाई गई मात्रा पर कमश : 30 रूपये एवं 20 रूपये प्रति बल्क लीटर की अतिरिक्त राशि के स्थान पर कमश : राशि रू. 20/– एवं रू. 10/– प्रति बल्क लीटर किया जाता है।

अनुज्ञापत्र के सन्दर्भ में अनुज्ञापत्र की निम्नांकित शर्तो में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

5.7 भा.नि.वि. मदिरा के लिये वर्ष 2018–19 के त्रैमासिक उठाव की तुलना में वर्ष 2019–20 के उसी त्रैमास में न्यूनतम 10 प्रतिशत से कम वृद्धि देने तथा बीयर के लिये वर्ष 2018–19 के त्रैमासिक उठाव की तुलना में वर्ष 2019–20 के उसी त्रैमास में न्यूनतम 10 प्रतिशत से कम वृद्धि देने वाले भा.नि.वि. मदिरा/बीयर रिटेल ऑफ की दुकान, परिधीय क्षेत्र के कम्पोजिट दुकान एवं रिटेल ऑन के अनुज्ञाधारियों पर उनके द्वारा कम उठाई गई भा.नि.वि. मदिरा की मात्रा पर रू. 20/–प्रति बल्क लीटर तथा कम उठाई गई बीयर की मात्रा पर रू. 10/–प्रति बल्क लीटर की दर से अतिरिक्त राशि वसूली योग्य होगी। कम उठाव वाली दुकानों की गणना दुकानवार प्रत्येक त्रैमास के पश्चात् की जायेगी।

5.8 मदिरा का विकय केवल सील बन्द बोतलों/केन में ही किया जा सकेगा तथा भा.नि.वि.म. के 90 एम.एल. एवं 180 एम.एल. पैकेजिंग का विकय ग्लास पात्र के साथ–साथ टेट्रा पैक एवं पेट (Pet) में किया जा सकेगा।